न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

प्रार्थना–पत्र सं0 : 138 सन 2018

अनवान :–

1. मायादेवी पुत्री रामजीलाल पत्नि श्रवण कुमार जाति मेधववाल निवासी वार्ड संख्या 1 राजू एम.सी. वाली गली छतरगढ पटटी सिरसा तहसील सिरसा जिला सिरसा हरियाणा हाल थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

सायला

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र आदराम जाति मेधववाल निवासी अनुपशहर तहसील भादरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. मैनेजर एच.डी.एफ.सी. बैक शाखा सिरसा हरियाणा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर
4. उप पंजीयक कार्यालय उप तहसील खूईया तहसील नोहर।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा
उपस्थित :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता सायल
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता 1 गैरसायल

निर्णय दिनांक :– 30/11/2020

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 322/156 के खसरा न0 369 की 8.6630हैक , खसरा न0 370 की 9.2320हैक खसरा 371 की 6.3230हैक खसरा न0 372 की 7.7900हैक कुल 32.0080हैक भूमि स्थित है जिसमें गैरसायल संख्या 1 के नाम 495–29/108 हिस्सा भूमि स्थित है गैरसायल संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। सायला गैरसायल न0 1 की पुत्री है तथा सायला की शादी श्रवण कुमार जाति मेधववाल निवासी छतरगढ पटटी सिरसा के साथ हुई थी वादिया के पति जुनियर इन्जियर थे उनकी मृत्यू दिनांक 03.07.2004 को अकस्मात हो गई उनकी मृत्यू के बाद सायला को अपने पति के सर्विस के पैसे मिले उनसे वादिया ने वाद भूमि खरीद की उस वक्त वाद भूमि सायला के दर्ज नही हो सकी इसलिये पिता के नाम रजिस्टर बैयनामा करवा दिया वाद भूमि सायला के मृतक पति से जो उसके बीमा, ग्रेज्युटी कम्युटेशन पीपीपी पेन्शनर आदि की राशि से उक्त भूमि सायला स्वय ने खरीद की थी सायला के नाम दर्ज ना होने कारण अपने पिता गैरसायल संख्या 1 पर अत्याधिक विश्वास और स्नेह था इसलिये इनके पास बैयनामा रवा दिया समस्त बैयनामा की राशि सायला के द्वारा अदा की गई थी गैरसायल न0 कोई राशि नही दी गई थी गेरसायल न0 1 ने उक्त भूमि सायला के पक्ष में दिनांक 19.08.2015 को वसीयत निष्पादित करवा दी तथा सायला पर गैरसायल न0 1 का अत्याधिक स्नेह था तथा उन्होने स्वेच्छा से उक्त भूमि की वसीयत करवाई थी चुकि वाद भूमि जब से खरीद की हुई तब से लेकर आज तक सायला का कब्जा काश्त रहा है इसलिये सायला वाद भूमि की खातेदार काश्तकार है गैरसायल न0 1 का नाम कलमजन करवाकर बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वाद भूमि गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज रहने का अनुचित फायदा उठाकर अन्यत्र रहन /बैय करने पर उतारू है जिसके लिये ग्राहक भी तलाश कर रहा है गैरसायल न0 1 अपने उपरोक्त मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायला को अपूर्णीय क्षति होती है इसलिये सायला गैरसायल न0 1 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाकर उसे पाबन्द करवा पाने का अधिकारी है कि अतः सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गेरसायल को पाबन्द किया जावे की रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 322/156 के खसरा न0 369 की 8.6630हैक , खसरा न0 370 की 9.2320हैक खसरा 371 की 6.3230हैक

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर

खसरा न0 372 की 7.7900हैक कुल 32.0080हैक भूमि को अन्यत्र रहन बेय नही करे एवं कब्जा काश्त में बेदखल नही करे।

सायला का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को तलब किया गया गैरसायल न0 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायला के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 322/156 के खसरा न0 369/8.6630 , , खसरा न0 370 की 9.2320हैक खसरा न0 371 की 6.3230हैक खसरा न0 372 की 7.7900हैक कुल 32.0080हैक भूमि में गैरसायल न0 1 के नाम सयुक्त खाता में 495–29/108 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो गैरसायल न0 1 के निरन्तर कब्जा काश्त में चली आ रही है शेष कथन सायला ने मनगढत गैरसायल न0 1 को परेशान करने के लिये अंकित किये गये है गैरसायल न0 1 ने अपनी खातेदारी भूमि पर बैक से ऋण भी ले रखा है गैरसायल स्वय सेवानिवृत कर्मचारी है स्वय के रिटायरमेन्ट होने पर वादग्रस्त भूमि खरीद की थी।

वादग्रस्त भूमि गैरसायल के कब्जा काश्त में है सायला ने अपने पति की आय से भूमि खरीद करना अंकित किया गया है सायला हरियाणा की निवासी है जो राजस्थान की मुल निवासी नही होने के कारण राजस्थान में भूमि खरीद करने की अधिकारी ही नही है सायला ने गैरसायल न0 1 को बहला फुसला कर पूर्व में अपने नाम वसीयत करवा ली थी जिसे गैरसायल न0 1 ने खारीज करवा दी है।

सायला वाद भूमि की किसी श्रेणी की टिनेन्ट नही है ना ही किसी प्रकार की हकदार है क्योकि गेरसायल न0 1 स्वय ने भूमि खरीद की है उसके जीवनकाल में सायला कोई हक हिस्सा पाने की अधिकारी नही है सायला गैरसायल न0 1 ने नाराज है इसलिये गैरसायल न0 1 को हैरान पेरशान करने के लिये प्रार्थना पत्र/वाद पेश किया गया है सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारीज फरमाया जावें।

सायला का जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षा की बहस सुनी गई

वकील सायला के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 322/156 के खसरा न0 369 की 8.6630हैक , खसरा न0 370 की 9.2320हैक खसरा 371 की 6.3230हैक खसरा न0 372 की 7.7900हैक कुल 32.0080हैक भूमि स्थित है जिसमें गैरसायल संख्या 1 के नाम 495–29/108 हिस्सा भूमि स्थित है गैरसायल संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। सायला गैरसायल न0 1 की पुत्री है तथा सायला की शादी श्रवण कुमार जाति मेधववाल निवासी छतरगढ पटटी सिरसा के साथ हुई थी वादिया के पति जुनियर इन्जियर थे उनकी मृत्यू दिनांक 03.07.2004 को अकस्मात हो गई उनकी मृत्यू के बाद सायला को अपने पति के सर्विस के पैसे मिले उनसे वादिया ने वाद भूमि खरीद की उस वक्त वाद भूमि सायला के दर्ज नही हो सकी इसलिये पिता के नाम रजिस्टर बैयनामा करवा दिया वाद भूमि सायला के मृतक पति से जो उसके बीमा, ग्रेज्युटी कम्युटेशन पीपीपी पेन्शनर आदि की राशि से उक्त भूमि सायला स्वय ने खरीद की थी सायला के नाम दर्ज ना होने कारण अपने पिता गैरसायल संख्या 1 पर अत्याधिक विश्वास और स्नेह था इसलिये इनके पास बैयनामा रवा दिया समस्त बैयनामा की राशि सायला के द्वारा अदा की गई थी गैरसायल न0 कोई राशि नही दी गई थी गेरसायल न0 1 ने उक्त भूमि सायला के पक्ष में दिनांक 19.08.2015 को वसीयत निष्पादित करवा दी तथा सायला पर गैरसायल न0 1 का अत्याधिक स्नेह था तथा उन्होने स्वेच्छा से उक्त भूमि की वसीयत करवाई थी चुकि वाद भूमि जब से खरीद की हुई तब से लेकर आज तक सायला का कब्जा काश्त रहा है इसलिये सायला वाद भूमि की खातेदार काश्तकार है वाद भूमि गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज रहने का अनुचित फायदा उठाकर अन्यत्र रहन /बैय करने पर उतारू है जिसके लिये ग्राहक भी तलाश कर रहा है गैरसायल न0 1 अपने उपरोक्त मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायला को अपूर्णीय क्षति होती है इसलिये सायला गैरसायल न0 1 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाकर उसे पाबन्द करवा पाने का अधिकारी है कि अतः सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गेरसायल को पाबन्द किया जावे की वाद भूमि को

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

रहन बैय या अन्य किसी प्रकार से स्थानान्तरण ना करे एवं सायला के कब्जा काश्त में दखल नही करे।

वकील गैरसायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 322/156 के खसरा न0 369/8.6630 , , खसरा न0 370 की 9.2320हैक खसरा न0 371 की 6.3230हैक खसरा न0 372 की 7.7900हैक कुल 32.0080हैक भूमि में गैरसायल न0 1 के नाम सयुक्त खाता में 495–29/108 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो गैरसायल न0 1 के निरन्तर कब्जा काश्त में चली आ रही है शेष कथन सायला ने मनगढत गैरसायल न0 1 को परेशान करने के लिये अंकित किये गये है गैरसायल न0 1 ने अपनी खातेदारी भूमि पर बैक से ऋण भी ले रखा है गैरसायल स्वय सेवानिवृत कर्मचारी है स्वय के रिटायरमेन्ट होने पर वादग्रस्त भूमि खरीद की थी।

वादग्रस्त भूमि गैरसायल के कब्जा काश्त में है सायला ने अपने पति की आय से भूमि खरीद करना अंकित किया गया है सायला हरियाणा की निवासी है जो राजस्थान की मुल निवासी नही होने के कारण राजस्थान में भूमि खरीद करने की अधिकारी ही नही है सायला ने गैरसायल न0 1 को बहला फुसला कर पूर्व में अपने नाम वसीयत करवा ली थी जिसे गैरसायल न0 1 ने खारीज करवा दी है।

सायला वाद भूमि की किसी श्रेणी की टिनेन्ट नही है ना ही किसी प्रकार की हकदार है क्योकि गेरसायल न0 1 स्वय ने भूमि खरीद की है उसके जीवनकाल में सायला कोई हक हिस्सा पाने की अधिकारी नही है सायला गैरसायल न0 1 ने नाराज है इसलिये गैरसायल न0 1 को हैरान पेरशान करने के लिये प्रार्थना पत्र/वाद पेश किया गया है गैरसायल न0 1 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है।सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारीज फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की सायला वाद भूमि में किसी प्रकार का हक अधिकार पाने की अधिकारी है या नही एवं भूमि का खरीददार कौन है.एवं प्रतिफल किसके द्वारा अदा किया गया था एवं वाद भूमि पर कब्जा काश्त किसकी है प्रार्थना पत्र में तो केवल यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण सूविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है।

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 322/156 के खसरा न0 369/8.6630 , , खसरा न0 370 की 9.2320हैक खसरा न0 371 की 6.3230हैक खसरा न0 372 की 7.7900हैक कुल 32.0080हैक भूमि में गैरसायल न0 1 के नाम सयुक्त खाता में 495–29/108 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है अर्थात गैरसायल सयुक्त खाता में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन गैरसायल न0 1 के पक्ष में है।

सायला का कथन है कि वाद भूमि उसने अपने पति के देहान्त होने के बाद उसके सर्विस से प्राप्त रूपये से अपने पिता के नाम भूमि खरीद की थी इसके विपरित गैरसायल न0 1 का कथन है उसने अपने रिटायरमन्ट के रूपयों से वाद भूमि खरीद की गई थी सायला एवं गैरसायल अपने अपने रूपयों से भूमि खरीद करना व्यक्त कर रहे है सायल ने अपने कथनों के समर्थन में ऐसा कोई भी साक्ष्य पेश नही किया जिससे यह साबित हो की वाद भूमि खरीद करने में उसने कोई प्रतिफल दिया गया था मात्र कथनों के आधार पर भूमि खरीद करने का प्रतिफल देना माना जाना न्यायोचित नही है।

सायला ने यह भी कथन किया है कि उसके पक्ष में गैरसायल न0 1 ने वसीयत करवाई गई थी गैरसायल न0 1 जरिये बेयनामा राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज है अर्थात गैरसायल की स्वअर्जित भूमि थी जिसके वसीयत स्वेच्छा से वह किसी के नाम भी करवा सकता था। जहॉ तक वसीयत का प्रश्न है तो सायला स्वय तो स्वीकार कर रही है की वह हरियाणा में निवास करने के कारण राजस्थान की भूमि उसके नाम नही हो सकती

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर

थी। गैरसायल न0 1 ने सायला के पक्ष में करवाई गई वसीयत को निरस्त भी करवा दिया गया है जो प्रस्तुत साक्ष्य से साबित है।

सायला का प्रार्थना पत्र मात्र कथनों के आधार पर आधारित है किसी प्रकार का साक्ष्य सबुत नही है सायला अपने कथनों को वाद में साक्ष्य सबुतो के आधार पर अपने हकों को साबित कर सकती है वर्तमान में गैरसायल न0 1 राजस्व रिकार्ड में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है किसी भी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को कथनों के आधार पर पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है यदि गैरसायल को पाबन्द किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति रिकार्डेड खातेदार काश्तकार अर्थात गैरसायल न0. 1 को होगी क्योकि सायला वर्तमान में किसी प्रकार की टिनेन्ट नही है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होने के कारण प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु गैरसायल न0 1 के पक्ष में होने के कारण सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारीज किया जाता है तथा कार्यालय द्वारा दिनांक 07.08.2018 को रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 322/156 के खसरा न0 369/8.6630 ,370/9.2330 ,371/6.3230 ,372/7.7900 कुल 32.0080हैक भूमि में से गैरसायल न0 1 के नाम दर्ज 495–29/108 हिस्सा भूमि पर जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30/1/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)